न्यायालय उपजिला कलेक्टर लालसोट (दौसा)

किस्म मुकदमा फर्द अहकाम (नियम 26) फार्म 111

मु0नं0 01/2021 अनिता बनाम् ग्राम पंचायत संवासा

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
-07-2022	पत्रावली पेश हुई। प्रकरण में बहस अंतिम सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलांट द्वारा अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराया गया। वकील अपीलाण्टगण का कथन हैं कि अपील में वर्णित आराजीयात भूमिया ग्राम थूणिधिराजपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा में स्थित है। खाता संख्या नं0 170 में वर्णित भूमियो में मृतक खातेदार रामसहाय मीना का हिस्सा 1/3 था एवं खाता संख्या 100 में वर्णित भूमियो में रामसहाय का हिस्सा 1/15 था मृतक रामसहाय पुत्र लाखा की विरासत का नामान्तकरण संख्या 566 ग्राम पंचायत संवासा द्वारा दिनांक 05–06–2009 को तस्दीक करते समय अपीलांट के पति फैलीराम का नाम लाला पुत्र रामसहाय भरकर अंकित कर दिया जबकि अपीलांट सं01 के पति का वास्तविक नाम फैलीराम पुत्र रामसहाय था इस गलत नामान्तकरण की जानकारी अपीलांट को दिनांक 17–12–2020 को नामान्तकरण की नकल लेने पर हुई है। दिनांक 30–12–2020 को जमीन का रिकार्ड लेने पर ज्ञात हुआ कि उसके पति का नाम फैलीराम की जगह लाला रिकार्ड में गलत अंकित है तब जाकर यह अपील दफा–5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ श्रीमान् न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपीलांट ने अपील के समर्थन में	

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज.)

नामान्तकरण संख्या 566 की सत्यप्रति नया खाता संख्या 170 व नया खाता संख्या 100 जमाबंदी, राशनकार्ड की छाया प्रति, पहचान पत्र, आधार कार्ड की छाया प्रति न्यायालय में प्रस्तुत की है। तथा मृत्यु प्रमाण पत्र फैलीराम का प्रस्तुत किया। बाद अवलोकन दस्तावेजात में इन सब में अपीलांट के पति का नाम लाला नहीं होकर फैलीराम पुत्र रामसहाय मीना है। परन्तु दिनांक 05–06–2009 को ग्राम पंचायत संवासा द्वारा नामान्तकरण संख्या 566 तस्दीक करते समय फैलीराम का नाम लाला पुत्र रामसहाय गलत दर्ज कर दिया। मेरे विनम्र मत में अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर तहसीलदार लालसोट को आदेशित किया जाता हैं कि नामान्तकरण संख्या 566 दिनांक 05–06–2009 में अपीलांट के पति का नाम लाला पुत्र रामसहाय निरस्त किया जाकर सही नाम फैलीराम पुत्र रामसहाय मीना अंकित किया जावे। इस आशय की तहरीर तहसीलदार लालसोट को जारी हो। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। नम्बर से कम हो। प्रविष्ठ लेख भण्डार होवे।

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०)